

प्रा.पत्र 148/2020

0.1692 भूमि की पत्न्यागती कारने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन में उक्त आराजी नं-27 का रकबा 0.1692 हे. वजाय मूल्य से 0.42 हे. अंकन होगा जो गलत है। उक्त भूमि का वालविक एवं सही रकबा 0.1692 हे. है। इसलिये आवेदन की चरण सं. 1 में वास्तविक आराजी नं-27 का रकबा 0.42 हे. के वजाय रकबा 0.1692 अंकन किया हुआ माना जावे। प्राथमिकता का प्राथमिकता पत्र 06 R/17 जो पी. वी. वी. का योग्य होने से खीका किया जाता है एवं प्राथमिकता पत्र धारा 128 - LR Act की चरण संख्या 1 में ग्राम ~~डांगला~~ डांगला का खेडा की आ. नं. 27 का रकबा मूल्य ल्याही से 0.1692 हे. अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

आविवेकता प्राथमिकता के निवेदन पर वही प्रकार उक्त पत्र सुनी गयी। संक्षेप में विवरण प्रकार है कि प्राथमिकता के ग्राम डांगला का खेडा तहसील चित्तौड़गढ़ में (नित आ. नं. 27 रकबा 0.1692 हे. की पत्न्यागती कराये जाने हेतु निवेदन किया है। प्रस्तुत जमानत आवेदनी संवत् 2071-2074 अनुसार उक्त भूमि प्राथमिकता की खेदेदारी में दर्ज है जिससे प्राथमिकता पत्र खीका योग्य होने से खीका किया जाता है एवं प्राथमिकता की ग्राम डांगला का खेडा तहसील चित्तौड़गढ़ में (नित आ. नं. 27 रकबा 0.1692 हे. भूमि की विना किसी के कब्जे में दखलबाजी किये लेवलमेंट नम्बे अनुसार पत्न्यागती किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्न्यागती रकबा प्राथमिकता वही होगा। शुल्क 1000/- आसरे एक हजार रुपए प्राथमिकता से वसूल है। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि पक्षकारान को लिखित सूचना दी जावे।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

--- मंगलदा

निपमा बुधार् पल्लवगदी की जावे। पालना
रिपोठे व्यापार्य मे पस्तुत की जावे।
निर्णय निर्याय जाकर लरे इजलाल
सुजाय गया। पत्रकली के लम शुभा
लेकर नम्वर ले काम हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)